न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–53 / 2023 (2023 / 121) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. दल्लु आत्मज गोदा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मणलाल आत्मज गोदा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुवालाल आत्मज गोदा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गुलाबीदेवी पत्नि गोदा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. अनछीदेवी पुत्री गोदा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. प्रेमदेवी पुत्री गोदा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मोहनीदेवी पुत्री गोदा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भगवानलाल आत्मज डालचन्द कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सुरेश आत्मज डालचन्द कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. गिरधारी आत्मज खेमा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. देवीलाल आत्मज श्रीराम कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शोभालाल आत्मज खेमा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सत्यनारायण आत्मज श्रीराम कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. नैना आत्मज बख्तावर कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. भैरूलाल आत्मज रामा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. उदा आत्मज रता कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. लादु आत्मज प्रताप कुमावत निवासी सबलपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. महेन्द्रसिंह चुण्डावत – प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 13.06.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.06.30 17:28:30 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायुपर के बेरून हल्का अ[illegible]र्थीगण के अधिकारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 320 रकबा 0.11 [illegible] राजस्व खाता संख्या 109 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी [illegible] नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों [illegible]फ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है

जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 15.05.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 12 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 13 के विरूद्व प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के अधिकारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 520 रकबा 0.11 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 109 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू—अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/—रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी [illegible] होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण [illegible] नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.06.30 17:28:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—53 / 2023 (2023 / 121) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. दल्लु आत्मज गोदा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मणलाल आत्मज गोदा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुवालाल आत्मज गोदा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गुलाबीदेवी पत्नि गोदा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. अनछीदेवी पुत्री गोदा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. प्रेमदेवी पुत्री गोदा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मोहनीदेवी पुत्री गोदा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भगवानलाल आत्मज डालचन्द कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सुरेश आत्मज डालचन्द कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. गिरधारी आत्मज खेमा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. देवीलाल आत्मज श्रीराम कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शोभालाल आत्मज खेमा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सत्यनारायण आत्मज श्रीराम कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. नैना आत्मज बख्तावर कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. भैरूलाल आत्मज रामा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. उदा आत्मज रता कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. लादु आत्मज प्रताप कुमावत निवासी सबलपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 13.06.2023 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के अधिकारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 520 रकबा 0.11 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 109 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200 / —रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500 / —रूपये सम्बधित भू—अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए [illegible] करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की [illegible] पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल [illegible] में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.06.30 17:28:30 IST
Reason: SelfAttested

हुक्मनामा आज दिनांक 13.06.2023 को मेरे हस्ता[illegible] एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा